

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

**Rule 119 : Declaration of stock held by a principal and <sup>1</sup>[job-worker]**

Every person to whom the provisions of section 141 apply shall, within <sup>2</sup>[the period specified in rule 117 or such further period as extended by the Commissioner], submit a declaration electronically in **FORM GST TRAN-1**, specifying therein, the stock of the inputs, semi-finished goods or finished goods, as applicable, held by him on the appointed day.

---

- 
- 1 Substituted for "agent" by Noti. No. 15/2017–Central Tax, dt. 01-07-2017 w.e.f. 01-07-2017.
  - 2 Substituted for "ninety days of the appointed day" by Noti. No. 36/2017–Central Tax, dt. 29-09-2017.

**नियम 119 : प्रधान और <sup>1</sup>[छुट-पुट कार्य करने वाले कर्मकार] द्वारा रखे स्टॉक की घोषणा**

प्रत्येक व्यक्ति जिसको धारा 141 के उपबंध लागू है <sup>2</sup>[नियम 117 में विनिर्दिष्ट अवधि या ऐसी और अवधि, जो आयुक्त द्वारा विस्तारित की जाए] के भीतर प्ररूप जीएसटी ट्रान-1 में एक घोषणा इलैक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुत करेगा जिसमें उसके द्वारा नियत दिन पर रखे निवेश का स्टॉक, अर्ध तैयार माल या तैयार माल जो लागू हो विनिर्दिष्ट करते हुए घोषणा करेगा।

---

- 1 अधिसूचना क्रमांक 15/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 01.07.2017 द्वारा "अभिकर्ता" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)।
- 2 अधिसूचना क्रमांक 36/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.09.2017 द्वारा "नियत दिन के नब्बे दिन" के स्थान पर प्रतिस्थापित।